महत्वपूर्ण / समयबद्ध
ई–मेल

प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः C 163 / दि0ज0स0वि0 / रा0स्त0पु0 / 2021–22 दिनांकः 19 मई,2021

विषयः वर्ष 2021 हेतु "विश्व दिव्यांग दिवस " के अवसर पर विभिन्न श्रेणी के राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रस्तावों को प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत ही हैं कि प्रत्येक वर्ष 03 दिसम्बर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं को पुरस्कार दिये जाते हैं। जिसके निमित्त विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली–2017 प्रख्यापित की गयी है। नियमावली में राज्य पुरस्कारों हेतु 12 विभिन्न श्रेणियों की व्यवस्था की गयी है। **नियमावली में दी गयी व्यवस्था अनुसार व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने है।**

राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली–2017 के अर्न्तगत पुरस्कार हेतु निम्नानुसार श्रेणियॉ निर्धारित हैं–

1– दक्ष दिव्यांग कर्मचारी / स्वनियोजित दिव्यांगजन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार।
2– दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी के लिए सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार।
3– दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ संस्था के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार।
4– प्रेरणास्रोत हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार।
5– दिव्यांगजन के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार।
6– दिव्यांगजन हेतु "बाधामुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार।
7– दिव्यांगजन को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ जिला के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार।
8– सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्तियों एवं सर्वश्रेष्ठ बालक / बालिका हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार।
9– सर्वश्रेष्ठ ब्रेलप्रेस के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार।
10– दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार।
11– सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार।
12– दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार।

राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली–2017 के अर्न्तगत पुरस्कार हेतु आवेदन–पत्रों के संबंध में कार्यवाही के लिए निम्नानुसार कैलेण्डर निर्धारित है–

क0 सं0	कार्यकलाप	तिथि एवं माह
1.	राज्य स्तरीय पुरस्कारों का विज्ञापन	15 जून
2.	आवेदन–पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि	15 जुलाई

3.	जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन	30 जून
4.	**जनपद स्तरीय चयन समिति की बैठक**	**31 जुलाई**
5.	राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक	31 अगस्त
6.	लघु–सूचीकृत उम्मीदवारों का सत्यापन	15 अक्टूबर
7.	पुरस्कार प्राप्त– कर्ताओं के लिए सूचना / पुष्टीकरण	31 अक्टूबर
8.	राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना	03 दिसम्बर

कैलेण्डर के अर्न्तगत निर्धारित अवधि में ही राज्य पुरस्कार हेतु आवेदन पत्रों को प्रेषित किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

नियमावली में पुरस्कार हेतु निम्नानुसार जिला चयन समिति का गठन किया गया हैः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा नामित चिकित्सक	सदस्य
3–	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	संयोजक सदस्य
4–	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
5–	सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य
6–	दो दिव्यांगजन यथा सम्भव (दिव्यांग बन्धु समिति / लोकल लेबल कमेटी) में नामित हों।	सदस्य

जिला चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन–पत्र निदेशालय को प्रेषित किये जाने हैं।

विगत वर्ष यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु संयुक्त संस्तुति जनपदों द्वारा प्रेषित की गयी है जो मान्य नही हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु पृथक–पृथक प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हैं। निदेशालय स्तर पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु **दिनांक 10–08–2021** तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली–2017 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ आवेदन–पत्र **पूर्ण विवरण / अभिलखों सहित 01 प्रति में निर्धारित तिथि 10–08–2021** तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।

भवदीय

(अनूप कुमार)
निदेशक।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अनु–1।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि निर्धारित समयार्न्तगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार)
निदेशक।

3.	जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन	30 जून
4.	**जनपद स्तरीय चयन समिति की बैठक**	**31 जुलाई**
5.	राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक	31 अगस्त
6.	लघु–सूचीकृत उम्मीदवारों का सत्यापन	15 अक्टूबर
7.	पुरस्कार प्राप्त– कर्ताओं के लिए सूचना/ पुष्टीकरण	31 अक्टूबर
8.	राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करना	03 दिसम्बर

कैलेण्डर के अर्न्तगत निर्धारित अवधि में ही राज्य पुरस्कार हेतु आवेदन पत्रों को प्रेषित किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

नियमावली में पुरस्कार हेतु निम्नानुसार जिला चयन समिति का गठन किया गया है:–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा नामित चिकित्सक	सदस्य
3–	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	संयोजक सदस्य
4–	जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य
5–	सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य
6–	दो दिव्यांगजन यथा सम्भव (दिव्यांग बन्धु समिति/लोकल लेबल कमेटी) में नामित हों।	सदस्य

जिला चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु आवेदन–पत्र निदेशालय को प्रेषित किये जाने हैं।

विगत वर्ष यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु संयुक्त संस्तुति जनपदों द्वारा प्रेषित की गयी है जो मान्य नही हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु पृथक–पृथक प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हैं। निदेशालय स्तर पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु **दिनांक 10–08–2021** तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली–2017 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ आवेदन–पत्र **पूर्ण विवरण/अभिलखों सहित 01 प्रति में निर्धारित तिथि 10–08–2021** तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।

भवदीय

(अनूप कुमार)
निदेशक।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अनु–1।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि निर्धारित समयान्र्तगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(अनूप कुमार)
निदेशक।